



# JEEVIKA

An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation

**Bihar Rural Livelihoods Promotion Society  
State Rural Livelihoods Mission, Bihar**



बिहार सरकार

1<sup>st</sup> Floor, Vidyut Bhawan - II, Bailey Road, Patna - 800 021; Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91-612-250 4960, Website : www.brplp.in

पत्रांक : BRLPS/Project/697/14/3694

दिनांक : 28/03/2016

## कार्यालय आदेश

### क्लस्टर फॅसिलिटेशन टीम (CFT) परियोजना सम्बन्धी व्यय हेतु दिशा निर्देश

सी०एफ०टी (CFT) परियोजना बिहार राज्य के 10 जिलों के 25 प्रखंडों में संचालित की जा रही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्यों में महिलाओं एवं दलितों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिनांक 14/05/2015 को रु० 2,70,66,657 मात्र जीविका को हस्तांतरित किये गए थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र J-11012/01/2012-MGNREGA (pt-1), दिनांक 6/11/2013 तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी जीविका के अनुमोदन के अनुसार इस निधि को निम्नालिखित गतिविधियों के लिए व्यय किया जा सकता है :

क्रम	लेखाशीर्ष	गतिविधि	व्यय
1	मनरेगा सलाहकार का मानदेय	सी०एफ०टी सम्बन्धी कार्यों / के लिए मानव संसाधन की व्यवस्था करना	अनुमोदन के अनुसार प्रति व्यक्ति रु०15000/- मात्र प्रतिमाह
2	परियोजना कर्मी, सामुदायिक कर्मी, समुदाय का प्रशिक्षण	समुदाय व श्रमिक संगठन के क्षमता वर्धन के लिए प्रशिक्षण	प्रशिक्षण के लिए अनुमोदित दर के अनुसार
3	रोजगार दिवस	जागरूकता सम्बन्धी अभियान, जॉब कार्ड बनाने के लिए कैंप आयोजित करना, पंचायत स्तर पर रोजगार दिवस आयोजित करना	अधिकतम रु०1000/- मात्र प्रतिमाह /सी.एल.एफ
4	सामुदायिक कर्मी का मानदेय	मेट /मनरेगा वी.आर.पी. की नियुक्ति एवं उनका मानदेय	अनुमोदित वी.आर.पी. नीति के अनुसार
5	समुदाय को सतत सहयोग देना	सामुदायिक संगठन के परिचालन पर होने वाला खर्च, सी०एफ०टी तथा श्रमिक संगठनों की मीटिंग का खर्च, लेखन सामग्री इत्यादि पर होने वाला खर्च, अन्य खर्च	अधिकतम रु०3000/- मात्र प्रतिमाह / सी.एल.एफ

*om*

सी०एफ०टी (CFT) परियोजना से सम्बंधित सारा व्यय ( मनरेगा सलाहकार के मानदेय के अतिरिक्त ) संकुल स्तरीय संघ (CLF) कार्यालय से ही किया जाना है। तत्पश्चात व्यय की राशि सम्बंधित जिला परियोजना समन्वयन इकाई (DPCU) द्वारा सी.एल.एफ (CLF) को हस्तांतरित की जायेगी ।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के आदेश से

*08-03-2016*  
( कुमार अशुमाली )

निदेशक , जीविका

प्रतिलिपि

१. विशेष कार्य पदाधिकारी / मुख्या वित्त पदाधिकारी /अधिप्राप्ति विशेषज्ञ
२. सभी जिला परियोजना प्रबंधक /वित्त प्रबंधक /प्रबंधक मानव संसाधन /प्रबंधक सामाजिक विकास
३. सभी प्रखंड परियोजना प्रबंधक
४. IT सेक्शन
५. सम्बंधित संचिका